

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ

प्रकरण संख्या) 0 / 2022

उनवान

श्रीमती ओम्ना पत्नी स्व.

बनाम

श्री शंकरलाल पिता स्व. श्री
कल्याण जी नि. सादी गंगरार
जिला चित्तौड़गढ़ (वर्ग.)

श्री अमनालाल नि. सादी

गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (वर्ग.)

88, 188

प्रा०पत्र/राजस्व वाद

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए |
|------------|---|---|
| 25/1/22 | बाद जॉच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 3/3/22 को पेश हो। | |
| 3/3/22 | पत्रावली पैका हुई। तकील ताकी उप.। प्र. सं. 2,3,4 के शमन मोदीस बाद तामिल अफा। त प्र. ताकी सं. 1 के शमन मोदीस बाद/अदम तामिल अफा। प्र. सं. 2 के तकील नामा श्री पिता मछीतारा का पैका किया जा का. का। पत्रावली ताकी तामिल प्र. सं. व अताब प्र. ताकी सं. 2 दि 15/3/2022 को पैका हो। | उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ 3 |

15/03/2022

पत्रावली पैका हुआ। तकील
 वादी त प्रतिवादी उप।
 प्रतिवादी क्र. 2 कि और क्र
 प्र. पत्रा अन्तर्गत धारा 07
 नियम 11 एवं धारा 11 व
 सं. पठन धारा - 151 जा. दी.
 पैका कि गार्ड। जिला की प्रती
 तादी अतिरिक्त को ही गार्ड।
 तादी अतिरिक्त को ही गार्ड।
 नहीं दिया द्वारा अतः
 अ. कर आये ही
 बहस का निवेदन किया गया।
 जिन अतिकार किया गया। पत्रावली
 पद 07 नियम 11 एवं धारा
 11 सं. पठन धारा - 151 जा. दी -
 दि 22/03/2022 को पैका हो

उप
 ह. म. ग. ड. भीलवाड़ा

22/3/22

पत्रावली पैका हुआ। तकील
 उपपत्र उप। पत्रावली वादी
 बहस 07-11 दि 22/4/22
 को पैका हो

उपपत्र अधिकारी
 हमीरगढ़, भीलवाड़ा

26.4.2022

पत्रावली पेश हुयी उपपत्र...
 तीव्रतम अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/
 अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश में
 दिनांक: 21/06/2022 का पेश हो।
 17/5/22

आदेश से रीज

15-5-22

पत्रावली पैका हुआ। वादी म. म.
 हावा एक जा. पत्रा म. म.

अधिकार परा S.L. मुजरे अफ. का
 चेरा दुमा। प्रा. परा में उक्त मन्तान
 प्रकरण वादपरा व प्राचीन परा
 विषय अनुसर्ष कर आज ही अंग्रे
 से तलन कि जाकर विद्रो करने की
 अनुमति प्रदान करते हुए वादपरा
 व प्रा. परा आज ही विद्रो किया
 जाते हम सभी तादीगण वादपरा
 व प्राचीन परा को आगे नही चलाना
 चाहते है तादीगण के प्रा. परा स्वीकार
 किया जाकर प्रकरण कि दि 17-5-2022
 के अन्तर्गत 5-5-2022 कि जाने
 के आदेश पारीत किये जाने के
 अन्तर्गत परातली शरी अन्तर पर
 श्रौष कि जाने कि आवा पारीत
 कि जाती है परातली के-गल अन्तर
 होकर द। तल उक्ताने है
 अधिकारी
 लोराड, जिला-मीलवाडा